

ए-35014/4/2023-प्रशासन-IIIख
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 2023

को

सीबीआईसी के सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी - सीबीआईसी की वेबसाइट/ ईमेल के माध्यम से

To

All Cadre Controlling Authorities under CBIC- through CBIC's website/email

विषय: प्रतिनियुक्ति के दौरान समय से अधिक ठहरने के मामलों की तत्काल समीक्षा के संबंध में।

Subject: Urgent review of cases of overstay while on deputation Reg.

उपरोक्त पर विषय डीओपीटी के ओ.एम. सं. 2/6/2023-स्था.(वेतन-II) दिनांक 22 मार्च 2023 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

Reference is invited to DoP&T's O.M.No. 2/6/2023-Estt.(Pay-II) dated 22nd March 2023 on the subject captioned above.

2. यह सीबीआईसी के तहत सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों के लिए जानकारी और सख्त अनुपालन के साथ-साथ सभी प्रतिनियुक्ति मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और कर्तव्य भ्रष्ट अधिकारियों के पक्ष में प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक रहने से जुड़े मामलों को बंद करने में देरी से बचने के लिए है।

2. This is for all the Cadre Controlling Authorities under CBIC for information and strict compliance as well as to review the status of all the deputation cases and avoid delayed closure of cases involving overstays beyond the approved term of deputation in favor of delinquent officials.

अनुलग्न : उपरोक्त के रूप में

मोहम्मद आसिफ
भारत सरकार के अवर सचिव

फोन 011-26162780; mohammad.ashif@nic.in